न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—295/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/295

अपीलाण्ट :—

1. कुन्दनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह,
2. गणपतसिंह पुत्र धोकलसिंह,
3. जगतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह,
4. जसवन्तसिंह पुत्र उम्मेदसिंह,
5. देवीसिंह पुत्र अर्जुनसिंह,
6. दिव्या पुत्री समदरसिंह,
7. नरपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह,
8. पप्पी कंवर पुत्री उम्मेदसिंह,
9. पूरण कंवर पत्नी सज्जनसिंह,
10. पूसीया कंवर पुत्री धोकलसिंह,
11. भोपालसिह पुत्र बलवन्तसिंह,
12. मदनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह,
13. राजु कंवर पत्नी अर्जुनसिंह,
14. राजवीरसिंह पुत्र समदरसिंह,
15. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह,
16. इन्द्रपालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह,
17. दिपक कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह,
18. विजयसिंह पुत्र धोकलसिंह,
19. शैतानसिंह पुत्र बलवन्तसिंह,
20. संतोष कंवर पुत्री सज्जनसिंह,

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1. रावतसिंह पुत्र जगतसिंह (फौत) के कायम मुकाम

1/1. मगू कंवर पुत्री रावतसिंह फौत के कायम मुकाम

1/1/1. जब्बरसिंह पुत्र मगू कंवर जरिये आम मुख्तियार श्रीमती लक्ष्मी चौहान पत्नी मनोहरसिंह चम्पावत

1/1/2. मोहब्बसिंह पुत्र मगू कंवर(फौत के का.मु.)

1/1/2/1. नरेन्द्रसिहं पुत्र स्व.मोहब्बसिंह

1/1/2/2.महावीरसिहं पुत्र स्व.मोहब्बसिंह

1/1/2/3.विरेन्द्रसिह पुत्र स्व.मोहब्बसिंह

1/1/2/4.भंवरकंवर पत्नि स्व.मोहब्बसिंह

1/1/3. मुकनसिंह पुत्र मगू कंवर, जातिगण राजपूत, निवासीगण ग्राम सरथुर, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)।

2. पवन कंवर पुत्री केशरसिंह,

3. भंवरसिंह पुत्र केशरसिंह.

4. रसाल कंवर पुत्री केशरसिंह.

5. हवन कंवर पुत्री केशरसिंह, जातिगण राजपूत निवासीगण ग्राम गुड़ा बालोतान, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर, जिला जालोर (राज.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

21. सुमेरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह,

22.सुरज कंवर पुत्री उम्मेदसिंह,

23. सरोज कंवर पुत्री उम्मेदसिंह,

24. सागर कंवर पत्नी स्व. समदरसिंह,

25. सायर कंवर पुत्री बलवन्तसिंह,

26. सोन कंवर पत्नी उम्मेदसिंह,

27. हंस कंवर पुत्री धोकलसिंह,
जातिगण–राजपूत, निवासीगण गुड़ा बालोतान, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 25.06.2024,
बसिलसिले अपील संख्या 22/2022 जीएसएम नम्बर 2022 /66
बअनवान रावतसिंह फौत के का.मु. जब्बरसिंह व अन्य बनाम राजस्थान
राज्य जरिये तहसीलदार आहोर व ग्राम गुड़ा बालोतान के म्यूटेशन
संख्या 317 दिनांक 05.01.1983 को खारिज बाबत।

उपस्थिति :–
1. श्री श्यामसिह सोलंकी, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री मदनदास वैष्णव, श्री हनुमानसिह , विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 28/11/24

1. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 22/2022 जीएसएम नम्बर 2022 /66 बअनवान रावतसिंह फौत के का.मु. जब्बरसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर निर्णय दिनांक 25.06.2024,से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा

28/11/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अपीलाधीन निर्णय विधि, न्याय, नियम व प्रक्रिया का दुरूपयोग कर तथा मौके व रेकर्ड के वास्तविक तथ्यों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से आनन फानन में पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट्स की प्रकरण में प्रोपर तामिल नहीं करवाई गई है जो अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स द्वारा अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स के सही पते नहीं पेश किये गये एवं बिना सही पतों के अपीलांट्स / रेस्पोडेंट्स के सम्मन अखबार में प्रकाशित करने का आदेश प्राप्त कर मात्र स्थानीय अखबार में अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स के सम्मन का प्रकाशन करवाया गया है जो किसी भी रूप में प्रोपर तामिल की तारीफ में नहीं आता है क्योंकि अपीलांट्स / रेस्पोडेंट्स भिन्न–भिन्न स्थानों पर निवासरत है। जो स्थान जालोर जिले एवं राजस्थान राज्य से बाहर है। फलस्वरूप स्थानीय अखबार में प्रकाशित सम्मन की जानकारी रेस्पोडेंट्स को नहीं हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स की तामिल मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में ली जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो सर्वथा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त पक्षकारों का कुसंयोजन किया है क्योंकि अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स सरोज कंवर पुत्री उम्मेदसिंह नाम से कोई व्यक्ति ग्राम गुड़ा बालोतान में नहीं है, अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स दिव्या पुत्री समदरसिंह, राजवीरसिंह पुत्र समदरसिंह, इन्द्रपाल पुत्र लक्ष्मणसिंह, नाबालिग है। जिन्हें कानूनन स्वतंत्र रूप से पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों के कुसंयोजन को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। फलस्वरूप अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलग्रस्त म्यूटेशन बहाल किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स जब्बरसिंह, मोहब्बसिंह, मुकनसिंह पुत्रगण मगू कंवर जातिगण राजपूत निवासीगण सरथूर तहसील देसूरी जिला पाली द्वारा ग्राम गुडा बालोतान तहसील आहोर के म्यूटेशन संख्या 317 दिनां 05.01.1983 को चुनौति दी गई है। जबकि ग्राम गुड़ा बालोतान के पुराने खसरा संख्या 302, 303, 304, 197 कुल रकबा 84–12 बीघा जिसके नये खसरा संख्या 334, 335, 336, 337, 338, 496 व 497 कुल रकबा 12.4300 हैक्टेयर की कृषि भूमि में उक्त रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स अथवा उनके पूर्वाधिकारी मगू कंवर का कोई हक अस्तित्व ही नहीं रहा है न ही तथाकथित मगू कंवर, रावतसिंह जी की जायंदा पुत्री अथवा विधिक उत्तराधिकारी ही है न ही उक्त कृषि भूमि में मगू कंवर अथवा रेस्पोडेंट्स / अपीलांट्स जब्बरसिंह व अन्य का कभी कोई कब्जा काश्त उपयोग उपभोग ही रहा है। अधिनस्थ न्यायालय में पेश अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। जिससे प्रमाणित हो कि मगू कंवर एवं उसके पश्चात् रेस्पोडेंट्स / अपीलांट्स जब्बरसिंह व अन्य रावतसिंह के विधिक वारिसान हो। इस प्रकार रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स जब्बरसिंह व अन्य का अपीलाधीन कृषि भूमि में कोई हित या अस्तित्व नहीं होने से उनकी लोकस–स्टेंडाई नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की सरासर अनदेखी कर अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
सुमेरपुर (राज.)

आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलग्रस्त म्यूटेशन बहाल किये जाने योग्य है।

ग्राम गुड़ा बालोतान तहसील आहोर के म्यूटेशन संख्या 317 दिनांक 05.01.1983 को स्वीकृत किया गया है। जो अधिनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने के 39 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया है। जो म्यूटेशन पूर्ण रूप से जांच कर रावतसिंहजी की मृत्यु के 07 वर्ष पश्चात् भरा जाकर स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स जब्बरसिंह व अन्य की नियत खराब हो जाने के कारण बिना किसी ठोस आधार के 39 वर्षों बाद उक्त म्यूटेशन को चुनौति दी गई है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रोपर तामिल के एवं बिना किसी विवेचन के एवं बिना किसी जांच रिपोर्ट के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलग्रस्त म्यूटेशन बहाल किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट्स / अपीलांट्स द्वारा पेश प्रथम अपील प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है क्योंकि अपील मगू कंवर के वारिसान द्वारा पेश की गई है। जिनको उक्त अपील पेश करने का हक अधिकार नहीं है क्योंकि अपीलग्रस्त म्यूटेशन में मगू कंवर अथवा रेस्पोडेंट्स / अपीलांट्स जब्बरसिंह व अन्य पक्षकार नहीं है तथा न ही हिन्दु उत्तराधिकार की धारा 8 के तहत रावतसिंह के द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी ही है। मगू कंवर की मृत्यु कब, कहां हुई उसका उल्लेख सम्पूर्ण अपील एवं धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है न ही मगु कंवर का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रावतसिंह की प्रमाणित वंश वृक्षावली ही पेश की गई है न ही रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स मगू कंवर, जब्बरसिंह, मोहब्बतसिंह, मुकनसिंह की वल्दीयत का ही अपील में कहीं उल्लेख है। रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स द्वारा मृतक रावतसिंह के विधिक उत्तराधिकारी होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोडेंट्स / अपीलांट्स मृतक रावतसिंह के विधिक वारिसान होने तथा म्यूटेशन संख्या 317 दिनांक 05.01.1983 की कृषि भूमि में खातेदारी की घोषणा हेतु साक्ष्य, सबूतों, मौके व रेकर्ड के तथ्यों के संबंध में विचारण एवं परीक्षण किये जाने आवश्यकता है जो म्यूटेशन अपील के जरिये संभव नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रावतसिंह जी के विधिक वारिसान बाबत् कोई जांच रिपोर्ट तलब किये बिना अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो भारी कानूनी व वाक्याति भूल की है। फलस्वरूप अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलग्रस्त म्यूटेशन संख्या 317 दिनांक 05.01.1983 का सम्यक रूप से अवलोकन नहीं किया है। उक्त म्यूटेशन को पारित करने एवं स्वीकृत करने हेतु हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार द्वारा पूर्ण रूप से जांच की गई है। जिसका अंकन अपीलग्रस्त म्यूटेशन मे दर्ज है। जो म्यूटेशन नियमानुसार सही पारित किया गया एवं स्वीकृत किया गया। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त म्यूटेशन को खारिज करने में गंभीर कानूनी त्रुटी की है। फलस्वरूप अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट्स / अपीलांट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पेश अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है। रेस्पोडेंट्स / अपीलांट्स द्वारा डिले कन्डोन प्रार्थना पत्र में अपीलग्रस्त म्यूटेशन की जानकारी रेस्पोडेंट्स / अपीलांट्स के अपने गांव गुड़ा बालोतान आने तथा मृतक रावतसिंह जी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

की सम्पत्ति के बारे में पुछताछ कर पता लगाने पर मृतक रावतसिंह की सम्पत्ति में मृतक जुझारसिंह के वारिसान द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिये जाने बाबत् हुई। जो डिले कन्डोन हेतु प्रोपर एवं स्वीकार्य आधार नहीं है क्योंकि रेस्पोडेंट्स/अपीलांट्स कभी भी ग्राम गुड़ा बालोतान के निवासी नहीं रहे हैं। डिले कन्डोन प्रार्थना पत्र में ग्राम गुड़ा बालोतान जाने की कोई दिनांक, तिथि वर्ष एवं वार का उल्लेख नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिले कन्डोन हेतु पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में दर्ज आधारों का कतई अवलोकन नहीं किया है न ही उक्त प्रार्थना पत्र पर पृथक से कोई आदेश ही पारित किया है। अपील निश्चित रूप से म्याद बाहर है। जिस कारण से अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलग्रस्त म्यूटेशन बहाल किये जाने योग्य है।

अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स के खातेदारी अधिकार, कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि जिसको अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से सींचकर एवं कड़ी मेहनत मजदूरी कर भूमि को काश्त योग्य एवं उपजाऊ बनाया है एवं भूमि को हरा भरा एवं संरक्षित किया हुआ है। अपीलाधीन निर्णय की पालना एवं प्रभाव एवं कियान्वयन से अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई किसी कदर सम्भव नहीं है। अपीलाधीन निर्णय के पालना प्रभाव एवं कियान्वयन से वाद बाहुल्यता बढ़ेगी तथा रेस्पोडेंट्स / अपीलांट्स येन केन प्रकारेण अपीलग्रस्त भूमि पर अनैतिक रूप से कब्जा करने एवं हस्तांतरण करने का प्रयास करेंगे। जिस कारण से अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाना एवं अपीलग्रस्त म्यूटेशन को बहाल किया जाना कानूनन आवश्यक है।

ग्राम गुड़ा बालोतान के पुराने खसरा संख्या 302, 303, 304, 197 कुल रकबा 84–12 बीघा जिसके नये खसरा संख्या 334, 335, 336, 337, 338, 496 व 497 कुल रकबा 12.4300 हैक्टेयर की कृषि भूमि आई हुई है जिसमें वक्त सेटलमेंट से रावतसिंह, जुझारसिंह पुत्रगण जगतसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण गुड़ा बालोतान का 1/2–1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था। जुझारसिंह की मृत्यु पश्चात् उनके पुत्र केशरसिंह, धोकसिंह, रामसिंह, बलवन्तसिंह, उम्मेदसिंह आदि के नाम दर्ज किये गये। रावतसिंह की मृत्यु हो चुकी है, उनकी दो पुत्रियां थी। जिसमें मगू कंवर के पुत्र/पुत्रियां / वारिसान जब्बरसिंह, मोहब्बत सिंह व मुकनसिंह है। उपरोक्त आराजी में मृतक रावतसिंह की भूमि में पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया गया। रावतसिंह की मृत्यु के बाद उनके कोई पुत्र/पुत्री संतान नहीं बताकर रावतसिंह जी की आराजी में जुझारसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज कर दी। जबकि मृतक रावतसिंह के दो पुत्रियां वक्त म्यूटेशन जीवित थी। जुझारसिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई। जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 को होने पर तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुत्रियों का हक प्राप्त होने पर म्यूटेशन संख्या 317 दिनांक 05.01.1983 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद एकपक्षीय सुनवाई अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार फरमावें तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय जालोर (राज.) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2024 बसिलसिले अपील संख्या 22/2022 जीएसएम नम्बर 2022/66 बअनवान रावतसिंह फौत के का.मु. जब्बरसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर व अन्य को अपास्त फरमावें तथा ग्राम गुड़ा बालोतान तहसील आहोर जिला जालोर (राज.) के म्यूटेशन संख्या 317 दिनांक 05.01.1983 को बहाल करावें।

रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने बहस में अभिकथन कर निवेदन किया कि

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारण किया गया है कि बेटियों को अपनी पैतृक सम्पत्ति में जन्म से उनका हक, अधिकार हो गया है। उपरोक्त प्रकरण में तो पटवार हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है, जबकि गांव के हर आम व खास व पटवार हल्का को यह जानकारी है कि मृतक रावतसिंह की दो पुत्रीयां संतान मगू कंवर व सगू कंवर है। इस प्रकार माननीय न्यायालय तहसीलदार आहोर द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 317 दिनांक 05.01.1983 हर सूरत में निरस्त योग्य है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत हिन्दू सक्सेशन एक्ट, 1956 के सेक्सन 8 व आरआरडी 1994 पेज 85 पेश किया गया है।

रेस्पोडेण्ट को म्यूटेशन की जानकारी हाल में हुई, जबकि रेस्पोडेण्ट अपने गांव गुडाबालोतान में आई तथा मृतक रावतसिंहजी की सम्पत्ति के बारे में पूछताछ कर पता लगाया तो पता चला कि मृतक रावतसिंह की सम्पत्ति में मृतक जूंजारसिंह के वारिशान ने अपने नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। इस पर रेस्पोडेण्ट ने तहसील कार्यालय आहोर में जाकर पुराने दस्तावेज की जानकारी प्राप्त की, जिस पर तहसीलदार आहोर के कार्यालय से नकल दिनांक 04.01.1922 को नकल दरख्वास्त पेश की, जिस पर दिनांक 11.01.2022 को नकले प्राप्त हुई। नकलें प्राप्ति से अपील अन्दर म्याद पेश गई थी।

रेस्पोडेण्ट को म्यूटेशन भरते समय कोई नोटिस नहीं दिया व नहीं कोई जानकारी प्राप्त करवाई। ऐसे म्यूटेशन जो बिना किसी आधार भरे गये है तथा कानूनन वारिशान को नजरअंदाज किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे म्यूटेशन को निरस्त करने की कोई म्याद नहीं है। ऐसे म्यूटेशन कभी भी जानकारी होने पर निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकते है। वर्तमान मृतक रावतसिंह को ना–औलाद बताकर भाई के लडकों के नाम फौतगी म्यूटेशन भरे गये है, जबकि मृतक रावतसिंह की पुत्रीया संतान जीवित थी। वैसे अपीलाधीन आदेश अधिकारिताविहितन मनमर्जी का होने से म्याद की कोई कानूनी बाधा नहीं है। ऐसा आदेश कभी भी निरस्त किया जा सकता है। फिर भी डिले कंडोन हेतु अलग से प्रार्थना–पत्र पेश किया था। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2002 पेज सं. 65 पेश की गई है।

रावतसिह पुत्र जगतसिंह, जुजारसिंह पुत्र जगतसिह जातियान राजपूत निवासी गुडाबालोतान के नाम से राजस्व रेकार्ड में दोनो भाईयो के नाम भूमि दर्ज इन्द्राज थी। जुजारसिह की मृत्यु हो चुकी थी.। उनके वारिसान / पुत्र केशरसिंह धुकसिह, रामसिंह, बलवंतसिह, उम्मेदसिह थे। जिनकी भी फौत होने के पश्चात उनके बारिशान है जिन्हे इस अपील में अपीलाण्ट के रूप में संयोजित किया गया है। रावतसिह की मृत्यु हो चुकी है उनकी दो पुत्रीयां मगूकंवर व छगूकंवर

थी। छगूकंवर लाऔलाद फोत हो चुकी है। मगूकंवर भी फौत हो चुकी है। जिसमे मगूकबर पत्नि रावतसिह के पुत्र / पुत्रीया वारिसान जबरसिंह, मोहब्बतसिंह व मुकनसिह है व पुत्रीयां नही है। इस बावत ग्राम पंचायत बडौद पंचायत समिति देसूरी जिला पाली द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, जालोर के निर्णय अनुसार रावतसिह के विधिक वारिसानो की जांच किये बिना ही रावतसिह को नाऔलाद फौत बताकर उसकी आराजी उनके वारिसान होने के बावजूद भी भतीजो के नाम कर दी, ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार की गई है। उसके आधार पर ग्राम गुडाबालोतान का म्यूटेशन संख्या 317 दिनांक 5.01.1983 खारीज किया गया है। तथा तहसीलदार आहोर को रिमाण्ड किया गया है जो सही निर्णय पारित किया गया है। इस निर्णय पालना में तहसीलदार आहोर द्वारा म्युटेशन संख्या 1602 दिनांक 26.07.2024 पारित किया जा चुका है। इस प्रकार तहसीलदार आहोर के आदेश हो जाने से अपीलांट द्वारा पेश अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलाण्ट की अपील खारीज फरमाई जावे।

6. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।वकील अपीलाण्ट का कथन है कि यह अपील नामांतरणकरण तस्दीक होने के 39 वर्ष उपरांत प्रस्तुत की गई है जिसके विलम्ब का कोई ठोस औचित्य भी नही दर्शाया है। वकील अपीलाण्ट ने न्यायिक उद्धरण डीएनजे 2022(2) (रेवेन्यु) पेज सं. 1556 अणचीदेवी बनाम कन्हैयालाल व आरआरडी 2019 पेज सं. 300 गोगा देवी बनाम नारायणलाल वगैरा में प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. द्वारा अपील प्रस्तुंत करने में हुए विलम्ब को प्रशमित नही करने का आधार बताया। वकील रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसूची प्रथम अनुसार रावतसिह की पुत्री मगूकंवर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकार में कब्जा महत्वपूर्ण नही है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज सं. 85 तथा जिस मामले में दोनो पक्षो की साक्ष्य हो वहां मामला रिमाण्ड नही किया जा सकता है। अतः अपील खारीज फरवाई जावे। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2006 पेज सं. 515 पेश करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

7. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि मृतक रावतसिह की पैतृक सम्पति में पुत्रियों का हक है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 माननीय न्यायालय ने भी इसको माना है। प्रकरण में लिमिटेशन के बिन्दु पर 39 वर्ष पूर्व दर्ज म्युटेशन की कार्यवाही की जानकारी रेस्पोडेण्ट मगूकंवर के का.मु. को पूर्व में होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है एवं रेस्पो को जिस दिनांक से जानकारी हुई तभी से लिमिटेशन की गणना होगी। अतः अपीलाण्ट का एतराज़ मान्य नही है। प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर का निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

दिनांक 25.06.2024 विधि सम्मत पारित किया गया है । तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 22/2022 जीएसएम नम्बर 2022 /66 निर्णय दिनांक 25.06.2024, बअनवान रावतसिंह फौत के का.मु. जब्बरसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर के निर्णय को यथावत रखा जाता है। एवं निर्देशित किया जाता है कि म्युटेशन संख्या 317 दिनांक दिनांक 05.01.1983 को खारीज किया जाता है। तथा म्यूटेशन संख्या 1602 दिनांक 26.07.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

25.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 25.11.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

25.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)